बलात्कार के मामलों के वचिारण के लयि 1,023 वशिष अदालतों की ज़रूरत

चर्चा में क्यों?

कानून मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों और महलिाओं के बलात्कार से संबंधति मुकदमों के वचिारण के लयि एक नई योजना के तहत 1000 से अधकि 'फास्ट ट्रैक वशिष अदालतों' की स्थापना कयि जाने की आवश्यकता है।

प्रमुख बदिु

- कानून मंत्रालय के न्याय वभिाग ने इन वशिष अदालतों की स्थापना के लयि 767.25 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया है।
- वभिाग ने गृह मंत्रालय को बताया है कि इस कार्य के लयि 474 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी|
- अनुमान लगाया गया है कि बलात्कार और प्रोटेक्शन ऑफ चलि्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (POSCO) के मामलों के लयि कुल 1,023 FTSC (फास्ट ट्रैक वशिष अदालतों) की स्थापना की जानी चाहयि। इस संबंध में ववरिण गृह मंत्रालय को भेजा गया है|
- नई योजना हाल ही में एक अध्यादेश का हस्सिा बनी जो अदालतों को 12 साल से कम उम्र के बच्चों से बलात्कार करने के दोषी ठहराए जाने वालों को मौत की सज़ा देने की इज़ाज़त देता है।
- आपराधकि कानून (संशोधन) अध्यादेश के माध्यम से भारतीय दंड संहति (आईपीसी), अपराध प्रक्रयिा संहति (सीआरपीसी), साक्ष्य अधनियिम और पास्को अधनियिम में संशोधन कयि गया है।
- इस योजना में भौतकि आधारभूत संरचना और अभयिोजन मशीनरी को मज़बूत करना, नचिली अदालतों के लयि न्यायकि अधकिारयिों की आवश्यक संख्या का प्रावधान, लोक अभयिोजकों के अतरिक्ति पदों का सृजन, समर्पति जाँचकर्त्ताओं और वशिष फोरेंसकि कटि सहति अनेक घटकों को शामलि कयि जाएगा।
- महलिाओं, अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति, अधकिार वहिीन लोगों और वरषि्ठ नागरकिों से संबंधति मामलों के वचिारण के लयि देश भर में 524 फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही कार्यरत हैं।
- 524 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से 100 महाराष्ट्र में, 83 उत्तर प्रदेश में, 39 तमलिनाडु में, 38 आंध्र प्रदेश में और 34 तेलंगाना में स्थापति हैं| अध्यादेश के हस्सिे के रूप में प्रस्तावति वशिष फास्ट ट्रैक कोर्ट वशिष रूप से बलात्कार और बाल बलात्कार के मामलों का नपिटारा करेंगे|
- आपराधकि कानून (संशोधन) अध्यादेश के अनुसार, ऐसे मामलों से नपिटने के लयि नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापति कयि जाएंगे और बलात्कार के मामलों के लयि वशिष फोरेंसकि कटि दीर्घ अवधि तक सभी पुलसि स्टेशनों और अस्पतालों को प्रदान कयि जाएंगे।
- यह अध्यादेश बलात्कार के अपराधयिों के लयि कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है वशिष रूप से 16 साल तथा 12 साल से कम आयु की लड़कयिों के मामले में। 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान कयि गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-needs-1023-special-courts-to-try-cases-of-rape-and-child-rape-law-ministry